

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/ सी.भ./व030-संस्कृत/2016/

दिनांक -25/09/18

समस्त उप निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,

विषय :- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक-संस्कृत भर्ती परीक्षा 2016 के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को मण्डल आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 6(1)परीक्षा/व030/2016-17/7030 दिनांक 08.09.2018 के क्रम में द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में संस्कृत विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार अभिस्तावित किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मण्डल आवंटन कर मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों को मण्डल आवंटन कर नियुक्ति हेतु आपको सुपूर्द्ध किया जा रहा है, उनके नियुक्ति आदेश आज दिनांक 25.09.2018 को जारी करें एवं पदस्थापन आदेश राज्य सरकार के पत्रांक प.17(7)शि-2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 (प्रति सलंगन) में अंकित बिन्दू संख्या बी के 01 से 09 में अंकित शर्तों के अनुसार दिनांक 25.09.2018 तक बिन्दू संख्या बी(1) व (2) के अनुसार तैयार की रिक्तियों की सूची एवं बिन्दू संख्या बी(5) के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर किया जाकर वरीयता सूची निर्धारित वरीयता क्रमानुसार काउसलिंग का आयोजन दिनांक 27.09.2018 को किया जाकर काउसलिंग के दिन ही अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जावें।

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 25.09.2018 को एवं रिक्तिया एवं वरीयता सूची दिनांक 26.09.2018 एवं पदस्थापन आदेश काउसलिंग के दिन ही इस कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग की ईमेल [compsecedu@gmail.com](mailto:compsecedu@gmail.com) पर उक्तानुसार निर्धारित तिथि को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय नोटिस पर भी प्रकाशित कर प्रति तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। नियुक्ति आदेश निम्नांकित शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी करावें:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (सही details where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावे। संरक्षण त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावें।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-गा /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/- रु. के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 100/- रु. के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का रव घोषणा पत्र (प्रारूप सलंगन)
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, गिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे। अतः

नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल रस्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

8. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-

(I) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(II) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(III) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के संस्कृत विषय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 30.06.2017 को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक (यथा स्नातक/बी.एड./एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात् की है, तो ऐसे अभ्यर्थी को काउसलिंग/नियुक्ति/कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को लौटाने की व्यवस्था करावें।

9. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये, इसके अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
10. अनावश्यक लाभ को रोकने के लिए नियुक्ति पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो स्केन कर नियुक्ति पत्र जारी किया जावे, नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी का स्केन किया हुआ फोटो भी लगाया जावें ताकि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें, यह सुनिश्चित हो सके।
11. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन—पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सकें।
12. नियुक्ति अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि आयोग कार्यालय को लौटाया जा सकें।
13. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में प्रोवेशनर ट्रैनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किसाया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, योनस आदि देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रैनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधारी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

17. परिविकाशीन प्रशिक्षण अवधि में इन्है कलेज्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रित दिभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देख होगा।
18. प्रित दिभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
19. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के संमुख दर्शाया गया है।
20. संलग्न सूची में कठिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/स्थाई पते में सहयन से कोई त्रूटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें।
21. आयोग द्वारा चयनित कठिपय अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित पिशेष वर्ग (दिक्लांग/दिघवा/परित्यक्ता) का उल्लेख नहीं होने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें मण्डल स्तर पर काउसलिंग हेतु तैयार की गई वरीयता में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.03.2018 के बिन्दु संख्या-बी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
22. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(7)शि-2/2016 जयपुर दिनांक 04.03.2018 (प्रति सलंगन) में अंकित बिन्दु संख्या-बी के अनुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की जावें।
23. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।
24. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा; ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।
25. सहरिया जाति की निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों (TSHM एवं TSHF) को बारां जिले में ही पदस्थापित किया जावें।
26. कार्यग्रहण करने पर इनके कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आईडी ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर सूचीबद्ध रूप से तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था की जावें।
27. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
28. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मध्यापान एवं गुटखा रोधन नहीं करने संबंधी बचनबंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।(प्रारूप सलंगन)
29. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक .....10.2018 निर्धारित की जावें एवं सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावें।
30. मण्डल हेतु आवंटित अभ्यर्थियों के परामर्श कैम्प में उपरिथित नहीं होने अथवा उपरिथित होने के उपरान्त विद्यालय का चयन नहीं करने पर उसका काउसलिंग में प्रदर्शित शेष रही रिपोर्टों पर प्रकाशित किया जावे।
31. आप अपने कार्यालय के इस कार्य से संबंधित लिपिक को इस कार्यालय में दिनांक .....09.2018 को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि मण्डल से संबंधित आवंटित अभ्यर्थियों के आवेदन उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के
32. वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियमित माननीय अध्याधीन रहेगी।

**नोट:-**(i) वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016के संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में संलग्न सूची के अध्यर्थियों जिनका मण्डल आवंतन किया जाकर विषयवार काउसलिंग में वरीयतानुसार शामिल करने संबंधी कार्यवाही हेतु सुपूर्द्ध किया जा रहा है, ऐसे अध्यर्थियों को केवल काउसलिंग में ही शामिल किया जावें उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जावें।

**संलग्न:-** मण्डल आवंतन सूची मय आवेदन पत्र एवं मा.न्यायालय निर्णय की पालना में काउसलिंग में शामिल किए जाने वाले अध्यर्थी जिन्हें मण्डल आवंतन में काउसलिंग हेतु सम्मिलित किया गया है, की सूचना मय आवेदन पत्र तथा आवंतन की एक्सल सॉफ्ट शीट

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

*Wtu*

(नथमल डिडेल)  
आईएस  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
बीकानेर

**प्रतिलिपि :-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अध्यापक घेड द्वितीय के पद पर चयनित अध्यर्थियों के मण्डल आवंतन के आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं अधीनस्थ उप निदेशक(माध्यमिक शिक्षा) कार्यालयों से पदस्थापन हेतु प्राप्त वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय से वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां पत्र में अंकित निर्धारित कार्यक्रमानुसार अप्राप्त रहती हैं तो संबंधित अनुभागाधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें।

*Rajendra Singh*  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
बीकानेर